

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर जिला भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:—मुनिदेव यादव आर.ए.एस.

प्रकरण सं०:—11/20

1 ज्ञानप्रकाश डागुर उर्फ रामकृष्ण जानू पुत्र भगवत प्रसाद डागुर जाति जाट नि० ग्राम हतीजर तह० वैर जिला भरतपुर।

2 सोनम डागुर उर्फ भुवनेश पुत्री भगवत प्रसाद डागुर जाति जाट नि० ग्राम हतीजर तह० वैर जिला भरतपुर।

—वादीगण

बनाम

राज० सरकार जरिये तहसीलदार तहसील वैर जिला भरतपुर

—प्रतिवादी


उपस्थिति वादीगण की ओर से श्री धर्मवीर सिंह चौधरी एडवोकेट।

दावा डिक्लेरेसन व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट

निर्णय

दिनांक

वादीगण ने वाद पत्र में अपनी पैतृक आराजी खाता संख्या नया पुराना 223—218 आराजी ख० न० नया व पुराना 873—1211 रकवा 1.3900, 886—1225 रकवा 0.6000, 899—1257 रकवा 1.3100, 900—1258 रकवा 1.5600, 901—1259 रकवा 1.4700, 920/1—1308 रकवा 0.4500, 1172—1732 रकवा 0.4300 है० कुल किता 7 रकवा 7.2100 है० एवं खाता संख्या नया व पुराना 270—270 ख० न० नया व पुराना 634—910 रकवा 0.1900, 639—917 रकवा 0.1200, 651—932 रकवा 0.1800, 805—1119 रकवा 0.0700, 819—1125 रकवा 0.1300, 814—1130 रकवा 0.2200, 816—1134 रकवा 0.1500, 832—1157 रकवा 0.2400, 838—1165 रकवा 0.3800, 888—1231 रकवा 0.1700, 891—1245 रकवा 0.4100, 892—1249 रकवा 0.0100, 892—1250 रकवा 0.2300, 904—1266 रकवा 0.2000, 907—1282 रकवा 0.9100, 1062—1568 रकवा 0.2000, 1069—1584 रकवा 0.2000, 1072—1587 रकवा 0.4200, 1079—1595 रकवा 0.1600, 1085—1604 रकवा 0.0700, 1094—1614 रकवा 0.1400, 1098—1623 रकवा 0.2400, 1101—1625 रकवा 0.5100, 1134—1665 रकवा 0.0800, 1159—1706 रकवा 0.0100, 1159—1707 रकवा 0.0800, 1168—1717 रकवा 0.3300, 1171—1728 रकवा 0.1500 है० कुल किता 28 रकवा 6.2000 तथा खाता संख्या नया व पुराना 271—269 ख० न० नया व पुराना 909—1292 रकवा 0.6100, 910/2—1297 रकवा 0.7300 कुल किता 2 रकवा 1.3400 है० वाके ग्राम हतीजर तह० वैर मुताबिक जमाबंदी सवत् 2074—2074 खातेदार


उपखण्ड अधिकारी
वैर (भरतपुर) राज०

काश्तकार काबिज आराजी है। उक्त आराजीयात में वादीगण निस्फ हिस्से के खातेदार काश्तकार काबिज आराजी हैं जो वादीगण को विरासत में अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई है। लेकिन विरासत के आधार पर राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम सहवन से गलत दर्ज हो गया है। यह दावा वादीगण ज्ञानप्रकाश डागुर उर्फ रामकृष्ण जानू पुत्र भगवत प्रसाद डागुर जाति जाट नि० ग्राम हतीजर तह० वैर जिला भरतपुर सोनम डागुर उर्फ भुवनेश पुत्री भगवत प्रसाद डागुर जाति जाट नि० ग्राम हतीजर तह० वैर जिला भरतपुर ने तहसीलदार वैर के आदेश दिनांक 01.03.2009 के विरुद्ध दाखिल खारिज संख्या 1131 के विरुद्ध पेश किया है कि जिसमें यह कहा गया है कि मृतक भगवत पुत्र गनपत की विरासत का नामांतरण दर्ज करते समय हल्का पटवारी ने सजरे में वादीगण ज्ञानप्रकाश डागुर के नाम की जगह रामकृष्ण जानू तथा सोनम डागुर के नाम जगह भुवनेश दर्ज कर दिया उसी आधार पर तहसीलदार वैर ने दाखिला खारिज मंजूर कर दिया और इस दाखिला खारिज के आधार पर अमल जमाबंदी में भी हो गया ज्ञानप्रकाश डागुर की जगह रामकृष्ण जानू एवं सोनम डागुर के नाम जगह भुवनेश दर्ज होने से वादीगण के हित प्रभावित हो रहे हैं जिस कारण तहसीलदार वैर की आज्ञा दिनांक 01.03.2009 काबिल निरस्तनीय है। उक्त दावा दिनांक 10.02.2020 को पेश किया है वादीगण के समस्त शैक्षणिक व अन्य दस्तावेजी रिकार्डों में वादीगण का नाम ज्ञानप्रकाश डागुर व एवं सोनम डागुर दर्ज है। पटवारी हल्का ने सहवन से ज्ञानप्रकाश डागुर व एवं सोनम डागुर की जगह क्रमशः रामकृष्ण जानू व भुवनेश दर्ज कर दिया जिसके कारण वादीगण को बैंक लोन व अन्य कार्य आदि में परेशानी हो रही है। इसलिए ज्ञानप्रकाश डागुर उर्फ रामकृष्ण जानू पुत्र स्व० भगवत प्रसाद डागुर एवं सोनम डागुर उर्फ भुवनेश पुत्री स्व० भगवत प्रसाद डागुर जातियान जाट नि० ग्राम हतीजर का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त घोषित फरमाया जाने की आज्ञा पारित की जावे। दावा दर्ज रजि० किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया तथा रिपोर्ट तलब की गई जिसमें तहसीलदार वैर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 08.02.2022 से यह अवगत कराया है कि ज्ञानप्रकाश डागुर उर्फ रामकृष्ण जानू पुत्र स्व० भगवत प्रसाद डागुर एवं सोनम डागुर उर्फ भुवनेश पुत्री स्व० भगवत प्रसाद डागुर जातियान जाट नि० ग्राम हतीजर दोनों क्रमशः एक ही नाम के व्यक्ति है। ऐसी स्थिति में नामांतरण संख्या 1131 ग्राम हतीजर में दर्ज ज्ञानप्रकाश डागुर उर्फ रामकृष्ण जानू पुत्र स्व० भगवत प्रसाद डागुर एवं सोनम डागुर उर्फ भुवनेश पुत्री स्व० भगवत प्रसाद डागुर शुद्ध किया जाना उचित होगा।

वकील वादीगण व पैरोकार सरकार को सुना गया व वादीगण के द्वारा उक्त दावे के साथ पेश शैक्षणिक व अन्य दस्तावेजात तथा संबंधित हल्का पटवारी की मौका पर्चा रिपोर्ट व गवाहान के शपथ पत्रों का अवलोकन किया गया जिसमें माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका व राजस्थान विश्वविद्यालय की अंक तालिका व राशन-कार्ड की कापी व आधार-कार्ड प्रस्तुत किये हैं। तथा पैरोकार सरकार ने भी



उप-डाण्ड अधिकारी
वैर (भरतपुर) राज०

वादीगण ज्ञानप्रकाश डागुर उर्फ रामकृष्ण जानू पुत्र स्व० भगवत प्रसाद डागुर एवं सोनम डागुर उर्फ भुवनेश पुत्री स्व० भगवत प्रसाद डागुर जातियान जाट नि० ग्राम हतीजर को शुद्ध किये जाने मे कोई ऐतराज नही किया है अतः दावा वादीगण का डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार वैर को आदेशित दिया जाता है कि वादीगण ज्ञानप्रकाश डागुर उर्फ रामकृष्ण जानू पुत्र स्व० भगवत प्रसाद डागुर एवं सोनम डागुर उर्फ भुवनेश पुत्री स्व० भगवत प्रसाद डागुर जातियान जाट नि० ग्राम हतीजर का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किया जावे। तथा वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में इद्रांज कलमजन किया जावे। उक्त वादीगण का वर्णित आराजीयात वाके ग्राम हतीजर तहसील वैर में राजस्व रिकार्ड में सहवन से गलत दर्ज हो रहे वादी संख्या 1 के नाम रामकृष्ण जानू के स्थान पर सही नाम ज्ञानप्रकाश डागुर तथा वादी संख्या 2 भुवनेश के स्थान पर सोनम डागुर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुनिदेव यादव)

उपखण्ड अधिकारी

वैर, भरतपुर